8वीं एनसीवीईटी परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

स्थान: **एनसीवीईटी**, **कौशल भवन** **दिनांक** : 20 **मार्च** 2023

समय: 12:00 **मध्याह्न**

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार

20 मार्च, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की 8वीं परिषद की बैठक डॉ. निर्मलजीत सिंह कालसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में 20 मार्च, **2023** को आयोजित की गई थी। श्री शैलेस कुमार सिंह, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) तथा गैर-कार्यपालन सदस्य, एनसीवीईटी और श्री कर्मा जिम्पा भुटिया, संयुक्त सिचव, एमओआरडी एवं गैर-कार्यपालन सदस्य, एनसीवीईटी को अनुपस्थिति से छूट प्रदान की गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-III** पर है।

कार्य-सूची की मदों पर चर्चा की गई थी और बैठक में कार्य-सूची की मदों के संबंध में परिषद द्वारा लिए गए निर्णय बाद के पैराओं में दिए गए हैं।

1. कार्यसूची मद सीओ801: 7वीं एनसीवीईटी परिषद बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

1.1 परिषद ने 12 दिसंबर, 2022 को आयोजित परिषद की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. कार्यसूची मद सीओ802: "एनसीवीईटी परिषद की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णयों" पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट

2.1 परिषद की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट का विस्तृत विवरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद के सदस्यों ने की गई कार्यवाही को नोट किया और उसका अनुमोदन किया। लंबित अनुपालनों के संबंध में की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित हैं:

2.1.1 सभी एनएसक्यूएफ योग्यताओं में सामान्य एनओएस के रूप में रोजगार योग्यता कौशल (ईएस) शामिल करना: परिषद ने सभी एनएसक्यूएफ अनुरूप और अनुमोदित योग्याताओं में यथा-लागू 120/90/60/30 घंटों के ईएस पर सामान्य एनओएस को शामिल किए जाने की सराहना की। इससे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के मूल और प्रभावकारिता में और वृद्धि होगी और पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत योग्यताओं के लिए उन्हें कार्यान्वित करने सहित सीखने वालों की बेहतर रोजगार योग्यता सुकर होगी।

2.1.2 परिषद को विभिन्न राष्ट्रीय घंटों की सभी अवार्ड करने वाले निकायों की विभिन्न योग्यताओं को पूरा करने के लिए इन सामान्य क्षैतिज रोजगार योग्यता कौशल एनओएस के लिए ई-विषय-वस्तु और अधिगम सामग्री तैयार करने तथा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन सभी एनओएस में 24 फरवरी, 2022 को आयोजित 16वीं एनएसक्यूसी बैठक में अनुमोदित 120/90/60/30 घंटों के एनओएस के लिए एनएसडीसी द्वारा रोजगार योग्यता कौशलों के 12 मॉडयुल तैयार किए जाने थे।

परिषद ने निर्देश दिया कि एनएसडीसी को सूचित किया जाए कि वे इस अनुपालन को यथा-शीघ्र पूरा करें ताकि उन्हें एनएसडीई स्कीम पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत शामिल व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल कार्य-प्रणाली में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त अवार्ड प्रदान करने वाले निकायों के साथ साझा किया जा सकें।

2.1.3. राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और माइक्रो-क्रेडेंशिएल्स संबंधी निर्देश: परिषद को अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी ने राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों और माइक्रो-क्रेडेंशिएल्स संबंधी दिशा-निर्देश तैयार कर दिए हैं।

2.1.4. दिशा-निर्देशों का प्रारूप हितधारकों के साथ साझा किया गया था और व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए एनसीवीईटी की वेबसाइट पर रखा गया था। शेयरधारकों और सार्वजनिक परामर्शों के उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों की विधिवत जांच, विश्लेषण किया गया था और उन्हें दिशा-निर्देशों के प्रारूप में शामिल किया गया था।

परिषद ने इस प्रयास की सराहना की क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पहल थी जो बदलती हुई कौशल कार्य-प्रणाली के क्षेत्र में बहुत आवश्यक थी।

एनओएस और माइक्रो-क्रेडिएंशल्स, दोनों के दिशा-निर्देशों के लिए और आगे अधिसूचना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2.1.5. एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त अवार्ड प्रदान करने वाले निकायों के माध्यम से ओईएम योग्यताओं के एनएसक्यूएफ स्वरूप के लिए सक्षमकारी योग्यता टैम्पलेट: परिषद को अवगत कराया गया था कि ओईएम की योग्यताएं प्रस्तुत करने के लिए टेम्प्लेट्स विभिन्न हितधारकों और उद्योग प्रतिनिधियों से इनपुट शामिल करते हुए परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एनसीवीईटी द्वारा तैयार कर दिए गए हैं। इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। कौशल कार्य-प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने वाले ये नए योग्यता टैम्पलेट तैयार कर दिए गए हैं और 24वीं

एनएसक्यूसी में अनुमोदित करा दिए गए हैं।

परिषद ने इस प्रयास की सराहना की और अनुमोदन प्रदान किया।

3. कार्यसूची मद सीओ 803: संपुष्टि के लिए अवार्ड करने वाले निकाय/मूल्यांकन एजेंसी की मान्यता का स्तर

3.1 परिषद को नीचे दिए गए सार के अनुसार एबी और एए प्रस्तावों (एबी और एए प्रस्तावों के ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर संलग्न हैं) की वर्तमान स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया था:

मान्यता प्रक्रिया के चरण	एबी	एए
आवेदक निकायों से प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या	127	188
वे आवेदन-पत्र जिनमें जांच/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है	123	170
वे आवेदन-पत्र जिनकी जांच/पक्रिया की जा रही है	4	18
आवेदक निकाय द्वारा वापस लिए आवेदन/प्रस्ताव	14	39
पात्र न पाए गए आवेदन पत्र	22	64
आवेदक निकायों से प्राप्त पुन: कार्यक्रम बनाने के अनुरोध/आवेदक निकायों से प्रतीक्षित सूचना/नए प्रस्ताव/चल रही विस्तृत जांच	04	21
आयोजित की गई उप-समिति की बैठक और आवेदक निकाय से प्रतीक्षित अनुपालन	03	11
जारी किए गए एनओआई तथा आवेदक निकायों को प्रदान की गई अनंतिम मान्यता	20	05
आवेदक निकाय को नियमित मान्यता प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित करार	64	44

(19.03.2023 **की स्थिति के अनुसार मान्यता के लिए आवेदन-पत्रों की स्थिति)**

3.2 परिषद को अवगत कराया गया था कि अवार्ड करने वाले निकाय के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता की मांग करने के लिए प्राप्त 127 आवेदन-पत्रों में से 123 आवेदन-पत्रों पर पहले ही कार्यवाही कर दी गई है/निर्णय ले लिया गया है और केवल 4 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

3.3. एए अनुमोदनों के संबंध में परिषद को अवगत कराया गया था कि 188 आवेदन-पत्रों में से 170 आवेदन-पत्रों पर पहले ही कार्यवाही कर दी गई है और 18 प्रस्तावों की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जांच के तहत प्रस्ताव सभी नए प्रस्ताव हैं जो एनसीवीईटी को पिछले दो माह में प्राप्त हुए हैं।

परिषद ने इस मेहनत और गति पर अपना संतोष व्यक्त किया जिससे एनसीवीईटी द्वारा मान्यता की प्रक्रिया चलाई गई है और पूरी की गई है।

परिषद ने अनुबंध I और अनुबंध II के अनुसार अब तक प्रदान की गई मान्यताओं की संपुष्टि सहित उपर्युक्त पैरा 3.1 के अन्तर्गत सूचीबद्ध तालिका के अनुसार प्रस्तावों की मान्यता की स्थिति अनुमोदित की।

4. कार्यसूची मद सीओ804: व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा तथा पोस्ट डिप्लोमा योग्यताओं संबंधी दिशा-निर्देश

4.1. परिषद को अवगत कराया गया था कि एनएसडीए के समय में एनसीवीईटी की स्थापना से पूर्व डिप्लोमा योग्यताएं एनएसडीए द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जा रही थी। अब कई अवार्ड करने वाले निकायों ने एनएसक्यूएफ अनुरूप तथा डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा योग्यताओं पर विचार करने के लिए एनसीवीईटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे क्योंकि इनकी कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में तथा विदेश में रोजगार के लिए भारी मांग है। एनईपी 2020 तथा राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरएफ) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के आलोक में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा योग्यताओं के संबंध में पृथक दिशा-निर्देशों के लिए उभरती हुई मांग थी।

4.2. इसके अतिरिक्त परिषद को यह स्पष्ट किया गया था कि 30 जून, 2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 20वीं बैठक में इस मामले में चर्चा की गई थी और व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल से संबंधित 'डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा' योग्यताओं के एनएसक्यूएफ अनुरूप तथा अनुमोदन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए 28 जुलाई, 2022 को एक समिति गठित की गई थी।

4.3. परिषद को अवगत कराया गया था कि व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा के संबंध में एनसीवीईटी ने दिशा-निर्देश तैयार कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों पर यूजीसी ओर एआईसीटीई द्वारा सहमति दे दी गई है।

4.4. ये दिशा-निर्देश हितधारकों के साथ साझा किए गए थे और व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए एनसीवीईटी की वेबसाइट पर डाले गए थे। हितधारकों और सार्वजनिक परामर्शों के

उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों की विधिवत जांच, विश्लेषण किया गया है और दिशा-निर्देशों के प्रारूप में शामिल किया गया है।

परिषद ने व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण ओर कौशल में डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा योग्यताओं संबंधी दिशा-निर्देश अनुमोदित किए।

5. कार्यसूची मद सीओ805: एनसीवीईटी अधिकारियों/परामर्शदाताओं/युवा व्यावसायिकों(वाईपी) के लिए घर से कार्य (डब्ल्यूएफएच) के लिए दिशा निर्देश

5.1. परिषद को अवगत कराया गया था कि उनकी 7वीं बैठक में परिषद ने '**घर से कार्य**' संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए 'सिद्धांत:' अनुमोदन प्रदान किया था। तद्नुसार, एनसीवीईटी अधिकारियों/परामर्शदाताओं/वाईपी को लचीलापन प्रदान कर उत्पादकता में वृद्धि लाने की दृष्टि से घर से कार्य संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए गए थे ताकि सरकारी कार्य और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के संबंध में अपेक्षित परिणाम समयबद्ध तरीके से देना सुनिश्चित करते हुए आपात-स्थितियों के दौरान अपना कार्य घर से कर सकें।

5.2. परिषद ने यह पाया ये दिशा-निर्देश एनसीवीईटी परामर्शदाताओं तथा युवा व्यावसायिकों पर ही लागू हों न कि परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों/प्रतिनियुक्त अधिकारियों/नियमित कर्मचारियों पर। परिषद द्वारा यह भी पाया गया था कि ये दिशा-निर्देश विशेष परिस्थितियों में कार्य करने के लिए लागू होंगे और नेमी प्रकृति के मामले में नहीं।

परिषद की उपर्युक्त टिप्पणियों के अध्यधीन दिशा-निर्देश अनुमोदित किए

6. कार्यसूची मद सीओ806: राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरएफ) संबंधी अंतिम रिपोर्ट

6.1.परिषद को अवगत कराया गया था कि एनएसडीई द्वारा गठित अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया एनसीआरएफ रिपोर्ट का प्रारूप 19 अक्तूबर, 2022 को माननीय शिक्षा एवं एसडीई मंत्री द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए शुरु किया गया था और उसके बाद आईआईटीज और अन्य हितधारकों के सहयोग से देश भर में बहुविद जागरुकता और परामर्शी कार्यशालाएं चलाई गई थीं।

6.2. हितधारकों और सार्वजनिक परामर्शों के उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों की विधिवत् जांच, विश्लेषण किया गया था और रिपोर्ट के प्रारूप में शामिल किया गया था।

6.3. इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय समिति ने 9 फरवरी, 2023 को एमएसडीई को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद, माननीय एमओई और एमएसडीई मंत्री ने इन अनुदेशों के साथ 'फाइल पर' अनुमोदन प्रदान किया था कि यह कार्य-ढांचा यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

6.4. परिषद को एनसीआरएफ के खास पहलुओं का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया था।

6.5.परिषद को यह सूचित किया गया था कि एनसीआरएफ की अंतिम प्रति सूचना के लिए यूजीसी के साथ डीओएचई द्वारा भेज दी गई है। जैसे ही यूजीसी इस कार्य-ढांचे को अधिसूचित करता है, एनसीवीईटी उच्च शिक्षा कार्य-प्रणाली में एनसीआरएफ में सभी वीईटी और कौशल संबंधी पहलुओं को कार्यान्वित करेगा और अगली बैठक में परिचालन/एनसीवीईटी परिषद द्वारा जो भी पहले हो, संपुष्टि के लिए परिषद के समक्ष लाएगा।

अधिगम के सभी आयामों में क्रेडिट्स का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयासों की परिषद ने सराहना की। परिषद ने एनसीआरएफ रिपोर्ट को अपनाने और इस रिपोर्ट से उभरने वाली कार्यवाही मदों के लिए सिद्धांत: अनुमोदन प्रदान किया।

7. कार्यसूची मद सीओ807: राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्य-ढांचा (एनएसक्यूएफ) और एनएसक्यूएफ लेवल के डिस्क्रिप्टर्स में संशोधन

7.1. बदलती हुई शिक्षा और कौशल परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तथा एनईपी 2020 और एनसीआरएफ जैसी रूपांतरणात्मक नीतियों की शुरुआत से परिषद को एनएसक्यूएफ में किए गए निम्नलिखित संशोधनों की जिम्मेदारी दी गई थी:

क. प्रवेश मानदंड, राष्ट्रीय घंटे,एनएसक्यूएफ/एनसीआरएफ स्तरों आदि जैसे **योग्यता मानदंडों का मानकीकरण**

ख. नए एनसीआरएफ स्तरों, एनएसक्यूएफ और एनएचईक्यूएफ के अनुसार **एनएसक्यूएफ स्तरों और डिस्क्रिप्टरों** में संशोधन।

ग. असंगठित/विरासत क्षेत्रों से संबंधित योग्यताओं, **माइक्रो-क्रेडेंशियल्स**, **एनओएस ओर आईएम** आधारित योग्यताओं की पूर्ति के लिए नए टैम्पलेट तैयार करना और क्यूएफ टेम्पलेट में संशोधन।

घ. राष्ट्रीय घंटों और एनएसक्यूएफ स्तर और योग्यताओं में ओजेटी का सिफारिश किये गए समावेश के आधार पर विभिन्न योग्यता प्रकारों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न घंटों अर्थात **30,60,90 और 120 घंटों** का **अनिवार्य रोजगार योग्यता एनओएस शामिल करना**।

ङ. विविधता से बचने के लिए विशिष्ट योग्यता कोड का पुनरावलोकन और व्यावसायिक कार्य-प्रणाली में एकरुपता लाने के लिए **प्रमाण पत्र टेम्पलेट में संशोधन**।

च. यूजीसी द्वारा अधिसूचित किए जाने के लिए **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020** तथा राष्ट्रीय क्रेडिट कार्य-ढांचा (एनसीआरएफ) में अनुरूपता।

7.2. परिषद को अवगत कराया गया था कि नए स्तरों के अनुसार संशोधित राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्य-ढांचा (एनएसक्यूएफ् और एनएसक्यूएफ स्तरों के डिस्क्रिप्टर्स शुरु किए गए हैं तथा उन्हें हितधारकों के साथ साझा किया गया था और उनके इनपुट मांग गए थे। उसके बाद इन्हें सार्वजनिक परामर्श के लिए 26 दिसंबर, 2022 को एनसीवीईटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। **इन प्राप्त टिप्पणियों की विधिवत् जांच, परीक्षण, विश्लेषण किया गया था और इन्हें** राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्य-ढांचा (एनएसक्यूएफ) और एनएसक्यूएफ स्तर के डिस्क्रिप्टरों में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्य-ढांचा (एनएसक्यूएफ) और एनएसक्यूएफ स्तर के डिस्क्रिप्टरों तथा प्रमाण-पत्र टेम्पलेटों की अद्यतन प्रति **अनुबंध V** के रूप में संलग्न है।

परिषद ने संशोधित राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्य-ढांचा (एनएसक्यूएफ) और एनएसक्यूएफ लेवल के डिस्क्रिप्टर्स का अनुमोदन किया और जैसे ही इन्हें यूजीसी द्वारा अधिसूचित कर दिया जाएगा, ये एनसीआरएफ के अभिन्न भाग भी बन जाएंगे।

अधिसूचना के लिए अनुबंध *IV* सहित इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया।

8. **कार्यसूची मद सीओ808: पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशा-निर्देश**

8.1. परिषद को सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 प्रत्येक के लिए जीवन-पर्यन्त अधिगम की आवश्यकता सुनिश्चित करने पर जोर देती है और पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के लिए प्रावधान को स्वीकार करती है। आरपीएल किसी व्यक्ति की क्षमता के आधार पर पूर्व अधिगम को मान्यता देने की एक पद्धति है जो मुख्य रूप से गैर-औपचारिक, औपचारिक अथवा अधिगम की पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से प्राप्त की गई है। इससे व्यक्ति और अधिक औपचारिक और प्रभावी तरीके से अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे और औपचारिक शिक्षा तथा कार्य-बल में खुद को एकीकृत कर पाएंगे। आरपीएल जीवनपर्यन्त अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है।

8.2. इसके अतरिक्त, परिषद को अवगत कराया गया था कि 12 दिसंबर, 2022 को आयोजित परिषद की 7वीं बैठक के अनुसार पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया था और कौशल कार्य-प्रणाली में हितधारकों के साथ साझा किया गया था। हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया और उन्हें 30/01/2023 को सार्वजनिक परामर्श के लिए एनसीवीईटी वेबसाइट पर डाला गया था।

8.3. एमएसडीई से परिषद सदस्य ने यह पाया कि उन्होंने दिर्शा-निर्देशों की विस्तृत जांच की है। यद्यपिएमएसडीई व्यापक रूप से दिशा-निर्देशों से सहमत है, तथापि वे कुछ आगामी सप्ताह के भीतर कुछ टिप्पणियां/विचार साझा करना चाहेंगे जिन्हें आरपीएल दिशा-निर्देशों में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जाए। परिषद द्वारा यह भी पाया गया था कि आरसीएल (सतत अधिगम की मान्यता) का प्रावधान भी आरपीएल दिशा-निर्देशों में शामिल किया जाए।

परिषद ने इस नोट के साथ आरपीएल दिशा-निर्देशों का सिद्धांत: अनुमोदन प्रदान किया कि एमएसडीई से टिप्पणियों/विचारों पर आरसीएल के लिए प्रावधान के साथ आरपीएल दिशा-निर्देशों में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जाए। अंतिम

दिशा-निर्देश संपुष्टि के लिए परिषद को प्रस्तुत किए जाएंगे।

9. कार्यसूची मद सीओ809: अप्रेंटिशिप और कौशल उन्नयन में वैकल्पिक ट्रेडों के लिए नए प्रमाण-पत्र टैम्पलेट

9.1.परिषद को अवगत कराया गया था कि दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण की पूर्ति करने वाले प्रमाण-पत्र टैम्पलेट 17/11/22 को आयोजित एनएसक्यूसी की 24वीं बैठक में अनुमोदित किए गए थे। उसके बाद, एनएसक्यूसी ने सलाह दी थी कि कौशल उन्नयन के लिए योग्यताओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु और मान्यता प्राप्त एबीजी के अनुरोध के अनुसार अप्रिंटिशिप कार्यक्रमों के लिए दो अतिरिक्त टैम्पलेट तैयार किए जाएं।

9.2. तद्नुसार, दो टैम्पलेट तैयार किए गए थे और एनएसक्यूसी को प्रस्तुत किए गए थे, इन्हें 31 जनवरी, 2023 को आयोजित 26वीं बैठक में एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

9.3. परिषद को यह भी अवगत कराया गया था कि एनएसक्यूसी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 11 प्रमाण-पत्र टैम्पलेट (दीर्घावधि कौशल से संबंधित 6, अल्पावधि से संबंधित 5) नोडल एजेंसियों अर्थात् एनएसडीसी और डीजीटी को सीडीआर फाइल के साथ विस्तृत टिप्पणियों के साथ स्पष्ट कार्यान्वयन के लिए जारी कर दिए गए हैं।

परिषद ने अप्रिंटिशिप और कौशल उन्नयन में वैकल्पिक ट्रेडों के लिए दो प्रमाण-पत्र टैम्पलेट को अनुमोदन प्रदान किया और यह इच्छा व्यक्त की कि दोनों नोडल एजेंसियों अर्थात एनएसडीसी और डीजीटी को दिए गए अनुसार डिजाइन विनिर्देश पूर्ण रूप से इसके कार्यान्वयन के लिए अपनाए जाएंगे।

10. कार्यसूची मद सीओ810: एनक्यूआर और एनसीवीईटी के वेबसाइट पर स्थिति अद्यतन करना

10.1. परिषद को अवगत कराया गया था कि जीईएम पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार के जीएफआर विनियमों का पालन करते हुए एक आईटी फर्म (एसईक्यूयूओआई) के माध्यम से संविदागत एनसीवीईटी वेबसाइट और एनक्यूआर पोर्टल को तैयार करने/उसका उन्नयन करने के लिए एनसीवीईटी की डिजिटल परियोजना विक्रेता द्वारा अब पूरी कर दी गई है।

10.2. परिषद को इन दोनों परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में अद्यतन

किया गया था और यह सूचित किया गया था कि दोनों परियोजनाएं 31 मार्च, 2023 से एनआईसी क्लाउड पर लाइव रहेंगी।

परिषद ने एनसीवीईटी वेबसाइट और एनक्यूआर पोर्टल पर परियोजना की पूर्णता की सराहना नोट की।

11. कार्यसूची मद सीओ811: डिजिटल उद्यम पोर्टल (डीईपी) के आरएफपी को, जैसा कि डेलाइट (इस प्रयोजन के लिए जीईएम के माध्यम से ली गई परामर्शी फर्म) द्वारा तैयार किया गया है, अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव।

11.1. परिषद को डिजिटल उद्यम पोर्टल (डीईपी) के संबंध में आरएफपी के स्तर के संबंध में अद्यतन किया गया था। डीईपी का उद्देश्य परिषद के प्रचालन की पारदर्शिता, दक्षता, और प्रभावकारिता बढ़ाना है और यह एबी और एए के रूप में मान्यता की मांग करने के लिए उन्हें ऑनलाइन प्रस्तुत करना और उन पर कार्यवाही किया जाना सुकर बनाएगा जिससे एक छोर से दूसरे छोर तक डिजिटल कार्य-प्रवाह मान्यता प्राप्त एबी और एए की मॉनिटरिंग, मान्यता प्राप्त एबी द्वारा योग्यता के विकास और प्रबंधन, शिकायतों का निवारण आदि वस्तुपरक रूप से और पारदर्शी तरीके से सुकर होगा। व्यापारिक प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरिंग के घटक को भी इस परियोजना के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

11.2. बोली प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जीईएम के माध्यम से चुने गए परामर्शदाता अर्थात् मैसर्स डेलाइट टच टोमाटसु इंडिया एलएलपी ने डीईपी परियोजना के चरण । के प्रदेय के अनुसार सिस्टम इन्टेग्रेटर के चयन के लिए 13.2.2023 का अंतिम आरएफपी प्रस्तुत कर दिया है (दिनांक 09.05.2022 को जीईएम पर जारी आरएफपी सं.जीईएम/2022/बी/2162439) । यह आरएफपी कौशल कार्य-प्रणाली और एनसीवीईटी दल के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों के साथ निकटता से कार्य कर तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई बैठकें और विचार-विमर्श किए गए थे कि यह आरएफपी एनसीवीईटी की आवश्यकताओं और व्यापक कौशल कार्य-प्रणाली का पर्याप्त रूप से समाधान करता है।

11.3. आरएफपी की एक प्रति पहले ही परिषद के सदस्यों के साथ साझा कर दी गई है। परिषद को डीईपी के विकास और कार्यान्वयन, डीईपी साफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लिए अवसंरचना की मेजबानी तथा विकास के बाद प्रचालनों का रखरखाव और 5 वर्ष की सहायता सहित कार्य के क्षेत्र का व्यापक विवरण देते हुए आरएफपी का संक्षिप्त अवलोकन दिया गया था।

11.4. गुणवत्ता लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) अनुपात का निर्णय लेते समय परिषद सदस्यों ने सिस्टम प्रणाली इंटेग्रेटर के चयन के लिए क्यूसीबीएस पद्धति के तकनीकी, वित्तीय अनुपात के संबंध में विचार व्यक्त किए।

11.5. यह विचार-विमर्श किया गया था कि डिजिटल उद्यम पोर्टल केवल अवार्ड करने वाले निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा ही मूल्यांकन किए जाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल कार्य-प्रणाली समृद्धियों में प्रशिक्षण और रोजगार के प्रभावी प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के लिए व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण अनुप्रयोग नहीं है बल्कि विद्यालयें, कॉलेजों, पालीटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण प्रदाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों, उद्योग भागीदारों, नियोक्ताओं, आदि जैसे अन्य हितधारकों के लिए भी उपलब्ध/उपयुक्त योग्यताओं और विभिन्न प्रयोजनों के लिए रोजगार भूमिकाओं के ब्यौरों के लिए भी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। वीईटी और कौशल कार्य-प्रणाली में एक महत्वपूर्ण विनियामक के रूप में तथा पोर्टल की पहुंच और देखने वालों की अनुमानित उच्च संख्या, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दृढ़ता को देखते हुए भी महत्वपूर्ण अधिदेशित कार्य के निष्पादन की ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यूआई/यूएक्स तथा व्यापारिक महत्वपूर्ण संघटक अत्यधिक महत्ता के महसूस किए गए थे। अत: परिषद ने बोली प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जीईएम के माध्यम से चुने गए परामर्शदाता अर्थात् मैसर्स डिलाइट टच टोमात्सु इंडिया एलएलपी द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार 70:30 के अनुपात के साथ जीईएम के माध्यम से बोली प्रक्रिया में क्यूसीबीएस पद्धति के साथ चलने का निर्णय लिया।

11.6. उल्लिखतानुसार डीईपी का अनुमानित बजट दिनांक 21.07.2020 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद की पहली बैठक (कार्य सूची सं. 06, परिशिष्ट 04, मद सं. 27) के अनुसार एनसीवीईटी परिषद के अनुमोदन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है जिसमें परिषद ने सेवाओं की अधिप्राप्ति और परामर्श के लिए आरएफपी के संदर्भ में वित्तीय शक्तियां अनुमोदित की थी:

11.6.1. 20.00 करोड रु. से अधिक – एनसीवीईटी परिषद

11.6.2. 20.00 करोड़ रु. तक - एनसीवीईटी परिषद

11.6.3. 10.00 करोड़ रु. तक - अध्यक्ष, एनसीवीईटी

11.7. वित्तीय शक्तियों के उपर्युक्त प्रत्यायोजन और बोली प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए जीईएम के माध्यम से चुने गए परामर्शदाता अर्थात मैसर्स डिलाइट टच टोहमात्सु इंडिया एलएलपी द्वारा प्रस्तावित वित्तीय प्राक्कलनों के आधार पर प्रस्ताव परिषद के अनुमोदन के लिए रखा गया था।

11.8 परिषद के अनुमोदन के बाद वास्तविक कीमत लेने के लिए सरकारी ई-बाजार स्थल (जीईएम) के माध्यम से वास्तविक वित्तीय बोली सहित प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जीईएम पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रक्रिया शुरु की जाएगी। उसके बाद सरकारी ई-बाजार स्थल के माध्यम से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन उपर्युक्त पैरा 11.5 में दर्शाए गए अनुसार क्यूसीबीएस पद्धति अपनाकर एच 1 बोलीदाता के चयन के लिए आरएफपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

11.9. इस प्रक्रिया के पूरा होने पर और बोली प्रक्रिया के आधार पर एच 1 बोली दाता को अभिचिन्हित किए जाने पर परिषद का अनुमोदन एच 1 बोली दाता को संविदा अवार्ड करने से पूर्व पुन: मांगा जाएगा।

11.10. इसके अतिरिक्त, परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाए कि वे बोली पूर्व योग्यता, तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति के भाग के रूप में एक एक अधिकारी नामित करें। एमएसडीई और एनआईसी से यह भी अनुरोध किया जाए कि इस प्रकार नामित सदस्य डीईपी के लिए निविदा के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकों में सुविज्ञ हों।

परिषद ने बोली प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जीईएम के माध्यम से चुने गए परामर्शदाता अर्थात मैसर्स डिलाइट टच टोहमात्सु इंडिया एलएलपी द्वारा तैयार किए गए डिजिटल उद्यम पोर्टल (डीईपी) के लिए आरएफपी तथा उपर्युक्त सिफारिशों का अनुमोदन प्रदान किया।

12. कार्यसूची मद सीओ 812: वीईटी में भारतीय भाषाओं के कार्यान्वयन की प्रगति

12.1. परिषद को अवगत कराया गया था कि **एनसीवीईटी हिंदी/भारतीय भाषाओं में** एनएसक्यूएफ अनुरूप और अनुमोदित योग्यताएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों के साथ अथक रूप से प्रयास करता आ रहा है।

12.2. परिषद को सूचित किया गया था कि आज की तारीख तक लगभग 55 प्रतिशत एनएसक्यूएफ अनुरूप और अनुमोदित योग्यताओं का अवार्ड करने वाले निकायों द्वारा **हिंदी/भारतीय भाषाओं में** अनुवाद किया जा चुका है।

12.3. यह स्पष्ट किया गया था कि **15 अप्रैल, 2023** से एनएसक्यूसी में एनएसक्यूएफ अनुरूप और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जा रही **अंग्रेजी, हिंदी/भारतीय भाषाओं में** योग्यताओं को आगे इस प्रावधान के साथ अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी प्रस्तुत करने वाले निकाय द्वारा लिखित प्रतिबद्धता दी जाएगी कि अनुमोदित प्रश्न संबंधित राज्य में उसे दिए जाने पर अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे। एबी से अनुरोध किया गया है कि वे एनएसक्यूसी बैठक द्वारा समीक्षा के लिए **प्रति माह अनुवाद संबंधी स्थिति** अद्यतन करें।

12.4. परिषद ने एमएसडीई को यह सलाह देने का भी अनुरोध किया कि वे **15 अप्रैल, 2023** से किसी भी नई योग्यता को प्रस्तुत करने के लिए और एक समयबद्ध तरीके **अंग्रेजी, हिंदी/भारतीय भाषाओं** में विद्यमान योग्यताओं के अनुवाद के लिए एसएससी को उपयुक्त निर्देश जारी करें।

परिषद ने प्रगति नोट की और यह सिफारिश भी की कि सभी मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों को यह भी सुनिश्चित करना है कि पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कार्यान्वयन के लिए चुनी गई 650 पुरानी एनएसक्यूएफ अनुरूप और अनुमोदित योग्यताएं दो माह की समयावधि के अन्तर्गत अर्थात् मई, 2023 के अंत तक हिंदी/भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए ताकि मंत्रालय इन योग्यताओं को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत पेश कर सके।

13. कार्यसूची मद सीओ 813: एनसीवीईटी के प्रशासनिक और वित्तीय मामले

परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों के संबंध में उसी हकदारी के अन्तर्गत अग्रिम अवकाश का क्रेडिट:

13.1.1. परिषद को सूचित किया गया कि 16 मार्च, 2022 को आयोजित परिषद की 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एक वर्ष में अठारह (18) दिन का अनुपस्थिति का अवकाश (वर्ष उनकी एनसीवीईटी में संविदा की तारीख से शुरु करने के रूप में परिभाषित) दो बराबर भागों में अर्थात संविदा/विस्तार की शुरुआत पर 9 दिन क्रेडिट किए जाएं जबकि शेष 9 दिन संविदा के छह माह पूरे होने के बाद क्रेडिट किए जाएं।

13.1.2. समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एनसीवीईटी में

परामर्शदाताओं के रूप में संविदागत आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी वही सुविधा प्रदान की गई है।

परिषद ने कार्य-सूची की पुष्टि की

13.2. एनसीवीईटी ने विभिन्न समितियों के भाग के रूप में सरकारी कार्य के लिए आमंत्रित बाहर विशेषज्ञों के लिए बैठक शुल्क:

13.2.1. परिषद को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी में अधिकतर रिक्तियां एक बाहरी सदस्य/एक बाह्य विशेषज्ञ से युक्त चयन समितियों के गठन के माध्यम से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदागत आधार पर भरी जा रही हैं।

13.2.2. एनसीवीईटी परिषद ने 13.07.2022 को आयोजित अपनी 6ठी बैठक में अवार्ड करने वाले निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने के लिए उप समिति की समीक्षा बैठकों के प्रयोजन के लिए बाहर विशेषज्ञों को नियुक्त करने और ऐसे बाह्य उप समिति सदस्यों (गैर-सरकारी/सेवानिवृत्त) को 4000/-रु. का बैठक शुल्क दिए जाने का अनुमोदन किया था।

13.2.3. यह प्रस्ताव है कि परामर्श/मूल्यांकन समितियों के सदस्य के रूप में आमंत्रित विषय वस्तु के विशेषज्ञों अथवा सभी बाहरी विशेषज्ञों अथवा वाईपी/परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता/अन्य भर्ती संबंधी समितियों के चयन के लिए अथवा एनसीवीईटी द्वारा कार्य के निर्वहन के प्रयोजन के लिए गठित किसी अन्य समिति के लिए कार्यकारी सदस्य के स्तर पर अनुमोदित समान बैठक शुल्क प्रदान किया जाए।

13.2.4. परिषद ने 13.07.2022 को आयोजित परिषद की 6ठी बैठक से उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एनसीवीईटी द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञों को ये सभी भुगतान किए जाने की पुष्टि की।

परिषद ने उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 13.07.2022 से बाहरी विशेषज्ञों को ये सभी भुगतान करने की पुष्टि की।

13.3. आईटी साफ्टवेयर इंजीनियर के एक पद का सृजन और उसे भरने के लिए प्रस्ताव की पुष्टि:

13.3.1. परिषद को एनसीवीईटी तथा एनक्यूआर पोर्टल के प्रचालन और रखरखाव के लिए तथा ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए कई पीसी, लैपटाप, प्रिंटर्स, स्कैनर्स

आदि सहित व्यापक आईटी अवसंरचना के रखरखाव के लिए एक साफ्टवेयर इंजीनियर की तत्काल आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया गया।

13.3.2. उपर्युक्त तात्कालिकता के मद्देनजर, जीईएम के माध्यम से हार्डवेयर इंजीनियर की चयन प्रक्रिया के दौरान, जिसके लिए 13.07.2022 को आयोजित परिषद की 6ठी बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था, एक आईटी साफ्टवेयर इंजीनियर विद्यमान रिक्ति से अधिक आउट-सोर्सिंग आधार पर लिया गया था।

13.3.3. तद्नुसार, जीईएम के माध्यम से आउट-सोर्सिंग के आधार पर एक आईटी साफ्टवेयर इंजीनियर नियुक्त किए जाने का मामला सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए 'फाइल पर' चलाया गया था।

परिषद ने इसे नोट किया और उसकी पुष्टि की।

13.4 इंटर्नस की नियुक्ति और वर्चुअल इंटर्नशिप की पुष्टि संबंधी अद्यतन स्थिति:

13.4.1. परिषद को इंटर्न की रिक्तियों को भरने के संबंध में अद्यतन किया गया। 10 इंटर्न में से अब तक दो रिक्तियां भर दी गई हैं और शेष रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है।

13.4.2. परिषद को यह भी अवगत कराया गया था कि कुछ इंटर्न आवेदकों ने अपने आवेदन-पत्र में उन्हें वर्चुअल/ऑनलाइन पद्धति पर इंटर्नशिप की अनुमति देने के लिए भी अनुरोध किया है। इस मामले में एनसीवीईटी में विचार-विमर्श किया गया और अध्यक्ष, एनसीवीईटी ने निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन वर्चुअल इंटर्न रखने की अनुमति दी:

क) इंटर्न अन्यथा इंटर्नशिप दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हो।

ख) वर्चुअल पद्धति पर कार्य कर रहे इंटर्न को एनसीवीईटी द्वारा कोई इंटर्नशिप राशि नहीं दी जाएगी।

ग) यह एनसीवीईटी परिषद द्वारा अनुमोदित कुल 10 इंटर्नस पर होगा।

घ) वर्चुअल इंटर्न को मापनीय परिणाम के साथ विशिष्ट परियोजना दी जाएगी।

ङ) इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सफलतापूर्वक पूरा होने और संबंधित निदेशक द्वारा उसके मूल्यांकन के अध्यधीन जारी किया जाएगा।

परिषद ने कार्य-सूची की पुष्टि की।

13.5. परामर्शदाता(राजभाषा) के व्यावसायिक शुल्क के निर्धारण की पुष्टि की:

13.5.1. परिषद को अवगत कराया गया कि 13.07.2022 को आयोजित 6ठी बैठक में

एक सरकारी सेवानिवृत्त अधिकारी (अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव स्तर पर वेतन में से पेंशन घटाने के आधार पर), जो हिंदी अनुभाग में दक्ष हो राजभाषा नीति से सुविज्ञ हों, नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

13.5.2. परिषद को यह भी अद्यतन किया गया था कि 50,000-160000 रु. के वेतनमान के तहत आईडीए पैटर्न से एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का चयन किया गया है और **उसकी परिलब्धियां परिषद द्वारा अनुमोदित उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद प्रति माह 31050/- रु. नियत की गई है।**

परिषद ने कार्य-सूची की पुष्टि की।

13.6. निदेशक स्तर के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों में से 02 परामर्शदाताओं (प्रशासन एवं लेखा) की नियुक्ति।

13.6.1. परिषद को अवगत कराया गया था कि 13.07.2022 को आयोजित 6ठी बैठक में एनसीवीईटी में प्रशासन, स्थापना और वित्त के कार्य में सहायता के लिए अवर सचिव/उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों में से एक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए परिषद ने अनुमोदन किया था।

13.6.2. परिषद को यह भी अवगत कराया गया था कि चूंकि एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जो परामर्शदाता (प्रशासन) के रूप में पहले ही नियुक्त था, ने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, को दूसरा पद रिक्त करने के लिए कार्य-मुक्त किया जाना था।

13.6.3. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर निदेशक (पीबी-13) के स्तर पर सेवानिवृत्त दो (02) परामर्शदाता उचित प्रक्रिया अपनाकर नियुक्त कर दिए गए हैं। एक परामर्शदाता, उस परामर्शदाता द्वारा रिक्त किए गए पद के विरुद्ध लिया गया है जो 65 वर्ष का हो गया है और दूसरा परामर्शदाता परिषद की 6ठी बैठक में अनुमोदित पद के लिए लिया गया है।

परिषद ने इसे नोट किया और उपर्युक्त कार्य-सूची की पुष्टि की।

13.7. एनसीवीईटी में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा:

13.7.1. परिषद को अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी में बेहतर दक्षता और वित्तीय मामलों पर समय से निर्णय लेने को हासिल करने की दृष्टि से 21.07.2020 को आयोजित पहली बैठक में परिषद द्वारा अनुमोदित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

13.7.2. तदनुसार, परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि संबंधित स्तरों पर

प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मद-वार विद्यमान प्रत्यायोजन की व्यापक समीक्षा करने के लिए और परिचालन के माध्यम से अथवा अगली परिषद में पुष्टि के माध्यम से, जो भी पहले हो, परिषद से उस पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सिद्धांत: अनुमोदन प्रदान किया जाए।

तद्नुसार, परिषद ने कार्य-सूची पर 'सिद्धांत:' अनुमोदन प्रदान किया।

13.8. सरकारी संपत्ति को हुई क्षति को नियमित करना

13.8.1. परिषद को एक एनएसडीए के कार्यकाल के दौरान और दूसरी एनसीवीईटी में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार दो परिसंपत्तियों की क्षति का विस्तृत विवरण दिया गया था:

क) **सचिव, एमएसडीई और पदेन-अध्यक्ष, एनएसडीए के निजी सचिव श्री अब्दुल वाहिद के लिए मोबाइल और वाई-फाई खर्चों की हानि**

i. तत्कालीन सचिव, एनएसडीए और पदेन अध्यक्ष, एनएसडीए के निजी सचिव श्री अब्दुल वाहिद को एक सरकारी मोबाइल फोन की खरीद के निमित्त 27,599/रु. की राशि और वाई-फाई खर्चों के रूप में 12,992/-(फरवरी 2017 से जनवरी 2018) तक राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। वह मोबाइल चोरी हो जाने की सूचना दी गई थी और तद्नुसार दोनों खर्चे (27599/रु. + 12,992/रु.) तत्कालीन सचिव, एमएसडीई और पदेन अध्यक्ष द्वारा चार्ज किए गए थे।

ii. तथापि, उपर्युक्त के निमित्त एनसीवीईटी द्वारा इस राशि को वसूल करने के लिए किए गए पर्याप्त प्रयासों के बावजूद तब से लंबे समय से लंबित लेखा परीक्षा आपत्ति बकाया है, दूसरा और कोई प्रयास आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

iii. अत:, गुम हुए मोबाइल हैंड-सेट की लागत और श्री अब्दुल वाहिद को प्रतिपूर्ति किए गए वाई-फाई प्रभारों को लेखा-परीक्षा आपत्ति के निपटान के लिए बट्टे खाते में डालने हेतु परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था।

ख) **श्री लव भारद्वाज परामर्शदाता ग्रेड-II को जारी किए गए सहायक सामग्री सहित एक सरकारी लैपटाप की क्षति**

i. परिषद को परामर्शदाता (ग्रेड-II), परामर्शदाता (ग्रेड-I) और युवा व्यावसायिकों, जो कौशल कार्य-प्रणाली के संबंध में व्यापक श्रृंखला के मामलों के अनुसंधान इनपुट प्रदान करने, नीतिगत पहलों, जांच विश्लेषण और व्यापक श्रृंखला के मामलों का मूल्यांकन प्रदान करने के अलावा डिलीवरी का संचालन करने वाले मुख्य कार्य-बल हैं, से युक्त एनसीवीईटी के तकनीकी कार्य-बल का संक्षिप्त विवरण दिया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि वरिष्ठ परामर्शदाता (परामर्शदाता ग्रेड

-II) ऐसी कई परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और सरकारी लैपटाप पर वे कार्य करते है, जो उन्हें प्रदान किए गए हैं और कार्यालय समय के बाद और सप्ताह के अंत में इनपुट प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। अत:, अधिकतर परामर्शदाता/वाईपी जहां भी जाते हैं लैपटाप ले जाते हैं।

ii. परिषद को एक परामर्शदाता (गेड-II), श्री लव भारद्वाज, जो घर लौटते समय लगभग 21.30 बजे दिल्ली के हरि नगर क्षेत्र के पास अस्थाई रूप से रुके थे, का लैपटाप सहायक सामग्री सहित चोरी हो जाने की घटना के संबंध में अवगत कराया गया था। एक चोर पिछली खिड़की से उनकी कार में घुसा और उनके वाहन (टाटा हैरियर एचपी 17 एफ 8348) से एनसीवीईटी द्वारा जारी वाला बैग चुरा लिया। हरि नगर वेट पुलिस स्टेशन में धारा 379 के तहत दिनांक 9 जनवरी, 2023 की एफआईआर सं.डब्ल्यूडी– एचएन – 000024 दर्ज की गई थी।

iii. चोरी हुए लैपटाप का विनिर्देशन (एचपी लैपटाप कोर 1-5, जिसकी क्रम सं. 5सीजी1486बीजेड5 आईटीबीएसएसडी/16जीबी रैम/14 इंच 11 जेन, एडाप्टर और लैपटाप बैग सहित जिसकी लागत 71050/- रु. थी।

iv. परिषद को सूचित किया गया था कि, तथापि, **चोरी हुए लैपटाप में स्टोर किए गए डाटा की कोई क्षति नहीं है क्योंकि बैक-अप लिया गया था और सुरक्षित रखा गया था।**

v. परामर्शदाताओं और अन्य स्टाफ कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचने के लिए, क्योंकि लैपटाप सरकारी कार्यों का निर्वहन करने के लिए जारी किया गया था, परिषद को सहायक सामग्री सहित खोए गए लैपटाप की लागत को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव किया गया था।

vi. यह भी विचार-विमर्श और प्रस्ताव किया गया था कि कर्मचारियों तथा एनसीवीईटी के हित को सुरक्षित रखने के लिए खोज उपस्करों का बीमा किया जाना चाहिए।

परिषद ने पैरा 13.8.1 (क और ख) में प्रस्तावित किए गए अनुसार क्षतियों को बट्टे खाते में डालने और उचित प्रक्रिया अपनाकर बीमा की प्रक्रिया शुरु करने के उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

13.9. एचटीएल भवन के वर्तमान परिसर के पट्टे का विस्तार:

13.9.1. परिषद को अवगत कराया गया था कि मैसर्स हिंदुस्तान टाइम्स, बी-2 पूसा रोड, करोल बाग नई दिल्ली से वर्तमान में लिए गए किराए के भवन का करार 30

अप्रैल, 2023 तक वैध है। एमएसडीई ने परिसर को शांतिपूर्वक खाली करने के लिए 30 अप्रैल, 2023 तक एनसीवीईटी और हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड के बीच विद्यमान पट्टा-करार के विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित किया है।

13.9.2. इसके अतिरिक्त, एमएसडीई को नए भवन/फर्श के संरचनात्मक डिजाइन को प्रभावित किए बिना कुछ छोटे परिवर्तन करने के लिए अनुरोध-पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था जिसे मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप में सहमति दी गई है। तथापि, मंत्रालय द्वारा 9 फरवरी, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. पीसी-11016/1/2022- संयुक्त सचिव (वित्त) का कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया था कि एनसीवीईटी को नए भवन में जाना चाहिए और परिवर्तन वहां जाने के बाद किए जाएंगे। तथापि, एनबीसीसी द्वारा कार्य की गति के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नए भवन में जाने के बाद शुरु किए गए कोई परिवर्तन समयबद्ध कार्य परियोजनाओं और परिषद के कार्य की दक्षता गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी और शिफ्टिंग से पूर्व यदि परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो इससे एनसीवीईटी के कार्य-चालन में व्यवधान होगा।

13.9.3. एनसीवीईटी ने अपने दिनांक 14.03.2023 के पत्र सं. 20005/29/2017-18/एनएसडीए/खंड III/1464 द्वारा एमएसडीई से अनुरोध किया है कि कौशल भवन से चाणक्यपुरी में शिफ्ट करने की तारीख की पुष्टि करने का अनुरोध किया है ताकि हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड के साथ तद्नुसार पट्टा-करार के आगे किसी विस्तार के लिए मामला उठाया जा सके।

13.9.4. यह भी उल्लेखनीय है कि यदि विद्यमान एचटी भवन को खाली किया जाना है तो पट्टाप्रदाता को तीन (03) माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना होता है। अत:, यदि आगे किसी विस्तार की आवश्यकता है तो उस पर शीघ्रतम निर्णय लिया जाना है।

13.9.5. एमएसडीई से सदस्य प्रतिनिधि ने भी एनसीवीईटी की चिंता को माना और इस पर सहमति दी कि एमएसडीई में मुद्दे को देख रहे संबंधित प्राधिकारी को परिषद की चिंताएं सूचित की जाएंगी और उनसे शिफ्टिंग से पूर्व प्रस्तावित परिवर्तन करने का अनुरोध किया जाएगा। गलती से हुए विलंब की अवधि आगे विस्तार देकर उपयुक्त माने जाने में शामिल की जाए। परिषद सदस्य इस बात पर भी सहमत थे कि डीजीटी जैसे एनसीवीईटी के मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकाय सहित किसी अन्य विभाग अथवा एजेंसी के साथ एक विनियामक के रूप

में एनसीवीईटी का उसी फर्श पर कार्य-स्थल को साझा करना उपयुक्त और सलाह योग्य नहीं होगा तथा इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

13.9.6. तद्नुसार परिषद द्वारा ये विचार-विमर्श किया गया था कि चौथी मंजिल पर किसी अन्य कार्यालय में अनावश्यक रूप से रहा जाए क्योंकि एनसीवीईटी के लिए उसके बढ़ते हुए कार्य-क्षेत्र और कार्य की मात्रा के साथ स्थान की पहले ही कमी है। इसके अतिरिक्त, स्थानों को परस्पर मिलाकर किसी अन्य एजेंसी द्वारा विनियामक के कार्यचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि नए भवन में एमएसडीई द्वारा अलग स्थान नहीं दिया जा सकता तो उस स्थिति में परिषद को विद्यमान भवन से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा विनियामक की स्वतंत्रता और उचित कार्यचालन सक्षम बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान की अनुमति दी जाए।

परिषद ने कार्य-सूची अनुमोदित की और तद्नुसार एमएसडीई के पास जाने की सलाह दी।

14. कार्य-सूची मद सीओ 814: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य कार्य-सूची मद

14.1. विधिक सहायता के लिए विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति

14.1.1. परिषद को सूचित किया गया था कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार सभी अधिदेशित कार्यों के कार्यान्वयन से एनसीवीईटी में कार्य का क्षेत्र और मात्रा कई गुना बढ़ गई है क्योंकि एनसीवीईटी सभी मान्यता प्राप्त कंपनियों (एबी, एए) के साथ करार हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है जो सक्षम न्याय-क्षेत्राधिकार में लागू किए जाने योग्य है, ऐसे दस्तावेज़ों की विधिक विधिक्षा और निर्वचन एक चलता रहने वाला कार्यकलाप है। अब तक एनसीवीईटी ने एए/एबी करारों की कानूनी विधीक्षा के लिए विधि कार्य विभाग (डीएलए) की एकबारगी विशेषज्ञता मांगी है।

14.1.2. आवेदन पत्रों की समीक्षा के लिए लगाई गई सुदृढ़ जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए परिषद को अपात्र आवेदकों (अब तक एबी-22, एए-64) की काफी संख्या से भी अवगत कराया गया था। परिणामस्वरूप, अपात्र पाए गए रद्द किए गए आवेदन-पत्रों से संबंधित न्यायिक मामले अथवा मान्यता प्राप्त कंपनियों के संबंध में अन्य शिकायतें हो सकती हैं जिसके लिए मामलों के विशेषज्ञ कानूनी जांच की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी द्वारा तैयार किए जा रहे विभिन्न दिशा-निर्देशों और मानकों की भी कानूनी पहलू से जांच और विधिक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

14.1.3. परिषद को एक विधि परामर्शदाता, जो प्राथमिक रूप से सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हो, जिसे कानूनी मामलों में सुविज्ञता हासिल हो, नियुक्त करने की

आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया गया ताकि कानूनों का निर्वचन करने, चल रहे न्यायिक मामलों और अन्य विधिक मामलों में सहायता करने तथा उन्हें संभालने के लिए सीजीएससी के साथ समन्वय करने में एनसीवीईटी को सुविधा प्राप्त हो सके। तथापि, यदि इस पद के लिए कोई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो फिर खुले बाजार के माध्यम से विधि परामर्शदाता को लेने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड कम से कम 5 से 7 वर्षों के अनुभव के साथ न्यूनतम 35 वर्ष की आयु के एलएलबी डिग्री होनी चाहिए।

परिषद ने उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध I

प्रतिभागियों की सूची

सदस्य का नाम	**पदनाम**	
1. डॉ. निर्मलजीत सिंह	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	वास्तव में भाग लिया
2. डॉ. विनिता अग्रवाल	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	वास्तव में भाग लिया
3. डॉ. नीना पहुजा	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	वास्तव में भाग लिया
4. श्री के.के. द्विवेदी, आईएएस	संयुक्त् सचिव एमएसडीई, एवं नामित सदस्य, एनसीवीईटी	ऑनलाइन भाग लिया
5. सुश्री सौम्या गुप्ता, आईएएस	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय एवं गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	ऑनलाइन भाग लिया
6. श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	भाग नहीं ले पाए*
7. श्री कर्मा जिम्पा भुटिया, आईएफओएस	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	भाग नहीं ले पाए*
8. कर्नल संतोष कुमार	निदेशक, एनसीवीईटी एवं परिषद के सचिव	(उपस्थिति में)
9. ले.कर्नल गुंजन चौधरी	निदेशक, एनसीवीईटी	(उपस्थिति में)
10.श्री सुशील अग्रवाल	निदेशक, एनसीवीईटी	(उपस्थिति में)
11.श्री पुरनेन्दु कांत	निदेशक, एनसीवीईटी	(उपस्थिति में)

अनुबंध II

उन अवार्ड करने वाले निकायों की सूची जिनको एलओआई जारी किया गया है तथा अनंतिम मान्यता प्रदान की गई है

क्र.सं.	नाम
1	ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल
2	इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल
3	ग्रीन जॉब्स सेक्टर स्किल काउंसिल
4	हैंडीक्राफ्ट एंड कारपोट सेक्टर स्किल काउंसिल
5	ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल
6	फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
7	रबड़, केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल
8	स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल काउंसिल
9	मैनेजमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल
10	ऐपेरल सेक्टर स्किल काउंसिल
11	कैपिटल गुड्स सेक्टर स्किल काउंसिल
12	मीडिया सेक्टर स्किल काउंसिल
13	पॉवर सेक्टर स्किल काउंसिल
14	टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल
15	एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल
16	हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल
17	हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल
18	पेंट एंड कोटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
19	कन्स्ट्रैक्शन सेक्टर स्किल काउंसिल
20	इन्स्ट्रूमेंटेशन सेक्टर स्किल काउंसिल
21	टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल
22	टूरिज्म सेक्टर स्किल काउंसिल
23	पलम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
24	फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
25	डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल

26	नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (एनएएसएससीओएम)
27	लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल
28	एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल
29	जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर स्किल काउंसिल
30	स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटल
31	इन्फ्रास्ट्रैक्चर इक्यूपमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल
32	इंडियन ऑयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल
33	माइनिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
34	बैंकिंग, फाइनेंसिएल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) सेक्टर स्किल काउंसिल
35	लाइफ साइसेंज सेक्टर स्किल डवलेपमेंट काउंसिल (एलएसएसएसडीसी)
36	रिटेलर्स एसोसिएशंस स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (आरएएससीआई)
37	सेंचुरिएन यूनिवर्सिटी, ओडिश
38	लैदर सेक्टर स्किल काउंसिल
39	सेफ्टी स्किल डेवल. फाउंडेशन, गुजरात
40	मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, सिक्किम
41	सेन्ट्रल इंस्टीट्युट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, चेन्नई
42	नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजाजी, दिल्ली
43	नेशनल फिल्म डवलपमेंट कारपोरेशन, मुंबई (एनएफडीसी)
44	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
45	इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू)
46	एडिशनल स्किल एक्यूजिशन प्रोग्राम, केरल (एएसएपी)
47	कर्नाटक स्किल डवलपमेंट को-ऑपरेशन
48	स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीटीईवीटी), ओडिशा
49	इंडियन एयर फोर्स
50	इंडियन नेवी
51	आरमाउरेड
52	कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पोलिस
53	आर्टिलरी
54	आर्मी मेडिकल कोर्प्स
55	रिमाउंट वेटेरिनरी कोर्प्स

56	आर्मी एयर डिफेंश
57	इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग
58	आर्मी एविएशन
59	कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स
60	कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स
61	मैकेनाइज्ड इन्फेन्टरी
62	इन्फेंटरी
63	आर्मी आर्डिनेंस कोर्प्स
64	आर्मी सर्विस कोर्प्स
65	इंटेलीजेंस कोर्प्स
66	आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्प्स (एपीटीसी)
67	आर्मी एजुकेशन कोर्प्स
68	दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस)
69	नेशनल एकेडमी ऑफ आरयूडीएसईटीआई, कर्नाटक
70	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार
71	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)
72	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंपनी (सीडीएसी)
73	श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, हरियाणा (एसवीएसयू)
74	यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन
75	वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक एंड वोकेशनल इजुकेशन एंड स्किल डवलपमेंट
76	हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव. कार्पो.
77	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक यूनिवर्सिटी
78	नेट्टर टेक ट्रेनिंग फाउंडेशन, कर्नाटक
79	आईआईटी गुवाहाटी
80	आईएसीई
81	सीबीएसई
82	मेवाड़ यूनिवर्सिटी
83	महाराजा रंजीत सिंग पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एमआरएसपीटीयू)
84	गुजरात काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग

अनुबंध III

उन मूल्यांकन एजेंसियों की सूची जिन्हें एलओआई जारी किया गया है और अनंतिम मान्यता प्रदान की गई है

क्र.सं.	नाम
1	स्किल मंत्रा एजुटेक. कन्सल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	ट्रेंडसेटर स्किल एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	एमएसएजी स्किल इंडिया एलएलपी
4	नवरीति टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
5	आईआरआईएस कोरपोरेट साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	एसपी इंस्टीट्यूट
7	एसएचएल इंडिया
8	फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमन इंटरप्राइजेट
9	टीएजी ऐसेसर्स गुइल्ड प्राइवेट लिमिटेड
10	ए2पीएल
11	रेडिएंट इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड
12	बृस्क माइंड प्राइवेट लिमिटेड
13	एडुवांटेज प्राइवेट लिमिटेड
14	आई एसेस कन्सल्टेंट एलएलपी
15	इंदौर स्किल ऐसेसमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
16	नॉलिज पार्टनर टेक्नोलॉजिस
17	राशनल मल्टी स्किल
18	प्राइमा कम्पीटेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
19	एमईआरसीआर-एमईटीटीएल (इंडंसलिंक ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)
20	डिसवर्सिफाइड बिजनेस साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड
21	गिंगर वेब्स प्राइवेट लिमिटेड
22	प्रोक्सिमो एजुकेशन सोसाइटी
23	पालमरी प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
24	सीईई विज़न टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
25	वेडॉक्ट स्किल एंड कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

26	आईविंटेज साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड
27	इंडिपेंडेंट क्वालीटेटिव एसेसरीज ग्लाइड प्राइवेट लिमिटेड
28	क्लेवरटी स्किल प्राइवेट लिमिटेड
29	डेमोर्गिया कन्सलटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	साई ग्राफिक्स एसेसमेंट बॉडी प्राइवेट लिमिटेड
31	इंविजिलेट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
32	मेथड्स एपेरल कन्सलटेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33	पीवीआर स्किल्स सेंट्रल प्राइवेट लिमिटेड
34	हेमसेन एक्जिम एलएलपी
35	एमएएससीओटी
36	अमृत स्किल डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमटेड
37	इंडिया स्किल प्राइवेट लिमिटेड
38	इंटीग्रेटेड लर्निंग सोल्युशंस (व्लीबॉक्स)
39	साई स्किल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
40	इनटच प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
41	अजूनी स्किल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42	एल्तिमस इवेल्युएशन प्राइवेट लिमिटेड
43	टीसीएस
44	शिक्षा भारती
45	विस्टास्किल्स
46	एनएसडीओएस
47	पीयर्सन वीयूई
48	युवा स्किल्स फाइंडेशन
49	एसीई एसेसमेंट
50	स्वर्गीय श्रीमती दुर्गा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट
51	उद्योग विकास संस्थान
52	खवासपुरिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
53	अगम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड

अनुबंध IV

अप्रिंटिशिप और कौशल उन्नयन में वैकल्पिक ट्रेडों के प्रमाण-पत्र टैम्पलेट

अप्रिंटिशिप में कौशल उन्नयन के वैकल्पिक ट्रेड

NAC - OT

RPL

फाइल सं. : ...../2022-23/एनसीवीईटी

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

भारत सरकार

विषय: एनसीवीईटी अधिकारियों/परामर्शदाताओं और वाईपी के लिए 'घर से कार्य' संबंधी दिशा-निर्देश।

1. प्रस्तावना:

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना वीईटी/कौशल क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम और मानक स्थापित करने वाले अति महत्वपूर्ण विनियामक के रूप में की गई है। एक नए युग के विनियामक के रूप में एनसीवीईटी ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन जैसे नेमी विनियामक कार्यों से तकनीकी अनुसंधान आधारित कार्यों में अपने प्रचालनों का क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से विविधिकृत किया है।

एनसीवीईटी प्रभावी विनियम और मॉनिटरिंग के माध्यम से इस कौशल कार्य-प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योग्यता जांच और अनुमोदन, अवार्डिंग निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता के लिए आवेदन-पत्रों की जांच और मूल्यांकन तथा दिशा-निर्देश, एसओपी अनुदेश आदि तैयार करने सहित अपना अनुसंधान आधारित तकनीकी कार्य करने के लिए संविदागत/शुल्क आधार पर काफी संख्या में परामर्शदाताओं और युवा व्यावसायिकों (वाईपी) नियुक्त करता है।

परामर्शदाताओं और वाईपी को प्राय: मानक सरकारी कार्य समय के बाद कार्य करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे नीति का प्रारूप बनाने और विनियम क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो समयबद्ध, हमेशा बढ़ने वाले और प्रकृति में प्रभावी होते हैं। यह पद्धति प्राय: कोविड महामारी जैसी विशेष स्थितियों के दौरान लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी ने कार्य की मात्रा और क्षेत्र विभिन्न नीतिगत मामलों आदि के संबंध

में एमएसडीई/सरकार द्वारा अपेक्षित नीति निर्माण, अवार्डिंग निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता, मॉनीटरिंग योग्यताओं का अनुमोदन, एनसीआरएफ का विकास और कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं, सूचना और इनपुट जैसे कई क्षेत्रों में कई गुना बढ़ गई है। कार्यालय में कार्यों की समयबद्ध प्रकृति और उपलब्ध सीमित कार्मिकों को ध्यान में रखते हुए प्राय: अधिकारियों तथा परामर्शदाताओं/वाईपी से यह अपेक्षा होती है कि वे घर/कार्यालय से बाहर से कठिन समय, राष्ट्रीय अवकाश, चिकित्सा संबंधी आपात-स्थितियों आदि के दौरान भी कार्य करें। अत:, जनहित में विशेष स्थितियों और परिस्थितियों से निपटने के लिए एनसीवीईटी अधिकारियों/परामर्शदाताओं और वाईपी को घर से कार्य करने का विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है।

2. उद्देश्य:

इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य एनसीवीईटी अधिकारियों/परामर्शदाताओं/वाईपी को उन्हें सौंपे गए सरकारी कार्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में अभिप्सित परिणाम समयबद्ध रूप से करना सुनिश्चित करते हुए आपातकालीन स्थितियों के दौरान अपना कार्य घर से करने के लिए कुछ सीमित लचीलापन प्रदान कर गुणवत्ता के कार्मिकों की अनुपस्थिति कर करने और उत्पादकता बढ़ाने तथा उन्हें बनाए रखना है। इस दस्तावेज में घर से कार्य (डब्ल्यूएफएच) के लिए निबंधन एवं शर्तें हैं और इस प्रयोजन के लिए एनसीवीईटी प्रशासन तथा अधिकारियों/परामर्शदाताओं/वाईपी के लिए आधारभूत दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करेंगे।

3. निबंधन और शर्तें:

क. परिभाषा: घर से कार्य (डब्ल्यूएफएच) एक मानक कार्यकरण व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी एक प्रभावी और दक्ष तरीके से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) टूल्स, तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग करते हुए घर पर रहते हुए अपने कार्य के उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। 'घर' शब्द का अर्थ कार्यालय के स्थान अर्थात् दिल्ली एनसीआर के अन्तर्गत अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी, अभिभावकों, पति/पत्नी, बच्चों और अस्पताल (खुद अस्पताल में होने के तहत नहीं) के आवास का स्थान हो सकता है। इसके अलावा, कोई अन्य स्थान अपवादात्मक परिस्थितियों और स्थितियों की आवश्यकता के तहत रिपोर्टिंग निदेशक की सिफारिश पर संबंधित कार्यकारी सदस्य के स्तर पर डब्ल्यूएफएच के लिए अनुमोदित किया जा सकता है।

ख. पात्रता और शर्तें जिनमें घर से कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है:

क) पात्रता: कोई अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी घर से कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की

अनुमति हेतु अनुरोध करने के लिए पात्र माना जाएगा;

i. यदि उसके कार्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) टूल्स का प्रयोग कर घर से कार्य करते समय प्रभावी रूप से निष्पादित किए जा सकते हों और वे सौंपे गए कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए विश्वसनीय, अनुशासित और स्व-प्रेरित सिद्ध हों।

ii. कार्य के सामान्य और नेमी समय के दौरान सौंपे गए सरकारी कार्यों को करने के लिए वह अन्यथा शारीरिक और मानसिक रूप से उपयुक्त हो।

ख) शर्तें: किसी अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपवादात्मक परिस्थितियों में ही घर से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है;

i. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी किसी संक्रामक रोग (कोविड सहित) से पीड़ित हो, जबकि वह घर से सरकारी कार्य करने के लिए अन्यथा सक्षम हों।

ii. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी का कोई पारिवारिक सदस्य, जो उसी घर में उसके साथ रहता हो, अंतर्णीय/संक्रामक रोग (कोविड सहित) से पीड़ित पाया जाए।

iii. जहां अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी की निरंतर ऑनलाइन उपस्थिति की आवश्यकता वाले दिन के महत्वपूर्ण भाग के लिए ऑनलाइन बैठकें निर्धारित की गई हों।

iv. निम्नलिखित के अध्यधीन अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी के पारिवारिक सदस्य का अस्पताल में होना:

क. परिवार में पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, सास-ससुर और दादा-दादी ही शामिल होंगे।

ख. उस रोगी की देखभाल करने के लिए किसी अन्य पारिवारिक सदस्य की अनुपलब्धता सिद्ध करने के लिए स्व-वचनबद्धता।

ग. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी को बिना किसी समय और संसाधन की कठिनाइयों के सौंपे गए सभी सरकारी कार्य करने के लिए सक्षम और प्रतिबद्ध होना चाहिए।

v. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी के आवास के भौगोलिक क्षेत्र में परिवहन प्रणाली अथवा सड़क बंद होने आदि में कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति/खराबी अथवा आवास से कार्यालय और/अथवा कार्यालय से आवास तक वास्तविक यात्रा वाले कार्यालय परिसर में जाना जोखिमपूर्ण और अव्यवहार्य हो।

vi. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी के आवास के भौगोलिक क्षेत्र में बाढ़, भारी वर्षा, तूफान, भूकंप आदि जैसी कोई प्राकृतिक स्थिति अथवा सड़क बंद होने आदि में कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति/खराबी अथवा आवास से कार्यालय और/अथवा कार्यालय से आवास तक वास्तविक यात्रा वाले कार्यालय परिसर में जाना अत्यधिकजोखिमपूर्ण और अव्यवहार्य हो।

vii. लॉकडाउन, आने जाने/यात्रा को प्रतिबंधित करने वाला कोई सरकारी आदेश अथवा सलाह।

viii. घर पर कोई अन्य आपात स्थिति जिसमें अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी को घर पर रहना हो; घर से सरकारी कार्य करने में सक्षम हो।

4. नियम और अन्य नीतियां:

i. घर से कार्य करते समय अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी को कार्य की सभी शर्तों, सरकारी आचरण की नीतियों, गोपनीयता, कार्य के समय आदि का पालन करना ही चाहिए।

ii. यात्रा न करने से समय की किसी बचत को यथा-संभव कार्यालय कार्य के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।

iii. हार्डवेयर, साफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी घर पर बिना किसी बाधा/अथवा समस्याओं के उपलब्ध हो, जो संबंधित प्राधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी की जिम्मेदारी होगी।

iv. यदि किसी कर्मचारी को घर से कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर भी दी गई है, तो भी अधिकारी की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता होने की स्थिति में वह कार्यालय में वास्तविक रूप से रिपोर्ट करेगा।

v. डब्ल्यूएफएच की अवधि के दौरान अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी किसी अन्य कार्य अथवा एनसीवीईटी द्वारा सौंपे गए कार्य के अलावा किसी कार्य में नहीं लगेगा। तद्नुसार, अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी की बायोमैट्रिक उपस्थिति किसी अन्य कार्यालय में अंकित नहीं होनी चाहिए।

vi. डाटा सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना अत्यधिक चिंता का विषय होना चाहिए। किसी तरह का सुरक्षा नयाचार भंग होने से कठोर और तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

vii. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी कार्य संबंधी संचार के लिए सुरक्षित संचार चैनल का प्रयोग करना, डाटा प्रायवेसी बनाए रखना और सरकारी ई-मेल आईडी का प्रयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

5. कार्य की उम्मीदें:

i. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे दी गई कार्य-अनुसूची का पालन करना ही चाहिए, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करे, डिलीवरी के उच्च-गुणवत्ता मानक बनाए रखे, और ई-मेल अथवा वीडिया कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित निदेशक को दिवस के अंत में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

ii. यदि अपेक्षित हो, तो डब्ल्यूएफएच अवधि के दौरान अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे कार्यालय में अथवा किसी अन्य स्थान पर वास्तविक रूप से

कुछ बैठकों में भाग लें अथवा कार्य करें।

iii. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित कार्यालय घंटों में कार्य करना चाहिए।

iv. निष्पादन का मापन उसी मीट्रिक्स पर जोर देते हुए किया जाएगा जो कार्यालय में कार्य-बल लागू होता है।

v. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी उस अवधि में किए गए कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके लिए उसे घर से कार्य करने की स्वीकृति दी गई थी, जो रिपोर्टिंग निदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित हो।

6. संचार:

i. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी को सभी कार्य दिवसों में सरकारी समय के दौरान पूरी तरह से पहुंच में होना होता है। यदि अपेक्षित हो, तो कार्य के घंटे सरकारी घंटों के बाद गैर-कार्यकारी दिवसों में बढ़ाए जा सकते हैं।

ii. सहकर्मी अथवा किसी हितधारक से किसी पत्राचार का उत्तर यथासंभव शीघ्रता से दिया जाना चाहिए।

iii. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी **से यह उम्मीद होती है कि वह ई-मेल का समय से उत्तर दे, कॉल्स का उत्तर दे, परियोजनाओं में लगा रहे और पहल प्रदर्शित करे।**

7. अनुमोदन और दस्तावेजीकरण:

i. जहां घर से कार्य औचित्यपूर्ण है, वहां 2 दिन तक के लिए डब्ल्यूएफएच के लिए सक्षम प्राधिकारी संबंधित निदेशक होगा। 2 दिन से अधिक डब्ल्यूएफएच के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी कार्यकारी सदस्य/अध्यक्ष, एनसीवीईटी होगा।

ii. अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी डब्ल्यूएफएच के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमोदन(ई-मेल सहित) प्राप्त किरेगा।

iii. मद सं.3 {ख[ख(i-vi)]} के तहत कारणों के लिए डब्ल्यूएफएच की आवश्यकता सिद्ध करने वाला साक्ष्य अधिकारी/परामर्शदाता/वाईपी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इन साक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

क. स्वयं अथवा किसी पारिवारिक सदस्य के संक्रामक और अंतर्णीय रोगों के लिए आईसीएमआर अनुमोदित प्रयोगशाला की चिकित्सा रिपोर्ट।

ख. किसी पारिवारिक सदस्य के अस्पताल में होने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देने वाले डॉक्टर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्सनऔर डिस्चार्ज समरी।

ग. आने-जाने और यात्रा की स्थितियों को प्रतिबंधित करने वाले कानून व्यवस्था और अन्य स्थितियों के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश/सलाह उदाहरण के लिए जिला प्रशासन आदि।

घ. किसी प्राकृतिक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश/सलाह, जैसे एसडीएमए अथवा जिला प्रशासन आदि।

ङ. उपर्युक्त (ग) और (घ) के लिए, किसी सलाह/आदेश के अभाव में, अपवादात्मक परिस्थितियों में कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी के अनुमोदन से डब्ल्यूएफएच प्रदान किया जा सकता है, जहां मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से जीवन अथवा संपत्ति को यात्रा करने की अव्यवहार्यता अथवा जोखिम सिद्ध हो, जोकि कार्यकारी सदस्य द्वारा पर्याप्त पाया जाए। इन स्थितियों के उदाहरण दंगे, हिंसक प्रदर्शन आदि हैं।

अस्वीकरण: एनसीवीईटी को पूर्व सूचना देकर किसी कारण से नीति को वापस लेने अथवा किसी प्रावधान को परिवर्तित करने का अधिकार है।